तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **धुंका बनाम आम्बा वगैरह, मुकदमा संख्या :– 93/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए

27.01.2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा सरहद ग्राम दांतिया, पटवार हल्का–अचलपुर में मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खाता नंबर 12 खसरा नंबर 455 रकबा 5.16 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम का आया हुआ है। जिस पर हमारा पीढ़ीयों से कब्जा चला आ रहा है। नकल वर्तमान जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त नवीन खसरा संख्या 455 रकबा 5.16 हैक्टेयर भूमि पुराने खेत खसरा संख्या 197 रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा से दौराने सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नवसृजित किए गये है। वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा आज से कई वर्षपूर्व बड़े बुजुगों एवं समाज के पंचान के रूबरू भौतिक तौर पर कर दिया गया था, जिस अनुसार हम आज दिन तक मौके पर काबिज है। मेरे बंट में आई जमीन को संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा मेरे उक्त बंट की भूमि में आने जाने का रास्ता नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में आसमानी स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नकशा परिशिष्ठ अनुसार मैं मौके पर काबिज हुं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा प्राप्त करने हेतु दावा बाबत् बंटवाड़ा का पेश किया जा चुका है। प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादीर फरमाई जावें कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 5.16 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थी के बंट व हिस्से की 1/4 हिस्से की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं एवं न ही किसी अन्य से कोई दखलदांजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही भूमि आगे बेचान या खुर्द–बुर्द ही करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:24 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर